रा.आ.बैंक (नदि)/आरओडी/पीएलआई/पुनर्वित्त परिपत्र 02/2018-19
04 अप्रैल, 2019

सभी पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थान,

महोदया/महोदय,

पुनर्वित्त परिपत्र सं. 02 / 2018-19 – प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा पासपोर्ट विवरण का प्रस्तुतीकरण

जैसा कि आपको ज्ञातत्व है, राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) की विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू अपनी विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं के माध्यम से प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। हमारी व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास कार्यनीति के भाग के रूप में, हमारा यह प्रयास है कि बिना किसी विलंब के पुनर्वित्त के लिए आवेदन को प्रोसेस करें।

2. बढ़ी हुई समुचित सावधानी उपायों के भाग के रूप में, प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) को सूचित किया जाता है कि रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त सहायता के लिए आवेदन करते समय अपने प्रवर्तकों/निदेशकों और कंपनियों के अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।

3. इस परिपत्र की तिथि पर बैंक की पुनर्वित्त सुविधा हेतु मौजूदा एक्सपोज़र रखने वाले प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) के मामले में, ऐसे सभी पुनर्वित्त ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि रा.आ.बैंक को दिनांक 30 अप्रैल, 2019 तक पूर्वोक्त पासपोर्ट विवरण प्रस्तुत करें।

4. ऐसे मामलों में, जहां संबंधित व्यक्ति के पास पासपोर्ट नहीं है, प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) को घोषणा के रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिये कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है व उसके बदले में यह दस्तावेज लिया गया है एवं इस घोषणा पत्र/प्रमाणपत्र को उक्त निर्धारित समयसीमा में रा.आ.बैंक को प्रस्तुत करना चाहिये।

5. हम इस प्रयास में आपके सहयोग हेतु आभारी हैं, जो रा.आ.बैंक को पुनर्वित्त आवेदनों की प्रोसेसिंग के समय में सुविधा प्रदान करेगा।

कृपया पावती दें।

भवदीय,

(के. चक्रवर्ती)
महाप्रबंधक